

## बिना वारंट व बिना लिखित अनुमित के गिरफ्तारी का अधिकार

रेलवे सुरक्षा बल निम्नलिखित अधिनियमों में दिये गये प्रावधानों के तहत बिना वारंट या बिना लिखित अनुमित के गिरफ्तारी कर सकता है ।

1) रेलवे सम्पत्ति ( विधि विरुद्ध ) कब्जा अधिनियम धारा 6: कोई वरिष्ठ अधिकारी या बल सदस्य किसी न्यायाधीश के आदेश के बिना और किसी वारंट के बिना किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तारी कर सकेगा जो इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध में शामिल रहा हो या जिसके विरुद्ध ऐसे समबद्ध रहने का समुचित संदेश हो ।

2) रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम धारा 12: कोई भी बल सदस्य किसी न्यायाधीश के आदेश के बिना और वारंट के बिना -

i) ऐसे किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकेगा, जो उसको या किसी अन्य बल-सदस्य को, ऐसे सदस्य के रूप में अपना कर्तव्य करने में, या उसको ऐसे सदस्य के रूप में अपना कर्तव्य करने से निवारित करने या भयोपरत करने के आशय से या ऐसे सदस्य के रूप में उसके द्वारा अपने कर्तव्य के विधिपूर्ण निर्वहन में की गई या किए जाने के लिए प्रयतित किसी बात के परिणामस्वरूप स्वेच्छया उपहति कारित करता है या स्वेच्छया उपहति कारित करने का प्रयत्न करता है अथवा सदोष अवरुद्ध करता है या सदोष अवरुद्ध करने का प्रयत्न करता अथवा हमला करता है या हमला करने की धमकी देता है अथवा आपराधिक बल का प्रयोग करता है या प्रयोग करने की धमकी देता है या प्रयोग का प्रयत्न करता है; या

(ii) ऐसे किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकेगा, जो किसी ऐसे संज्ञेय अपराध से संबद्ध रहा है या जिसके विरुद्ध उसके ऐसे अपराध से संबद्ध रहने का समुचित संदेह है या जो अपनी उपस्थिति को छिपाने के लिए पूर्वावधानियां ऐसी परिस्थितियों में बरतता पाया जाता है जिनसे यह विश्वास करने का कारण उत्पन्न होता है कि वह ऐसी पूर्वावधानियां ऐसा संज्ञेय अपराध करने के लिए बरत रहा है जो [रेल संपत्ति, यात्री क्षेत्र और यात्रियों] से संबंधित है; या

(iii) ऐसे किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकेगा जो रेल की सीमाओं में अपनी उपस्थिति को छिपाने के लिए पूर्वावधानियां ऐसी परिस्थितियों में बरतता पाया जाता है जिनसे यह विश्वास करने का कारण उत्पन्न होता है कि वह ऐसी पूर्वावधानियां [रेल संपत्ति, यात्री क्षेत्र और यात्रियों] की चोरी करने या उसे नुकसान पहुंचाने की दृष्टि से बरत रहा है; या

(iv) ऐसे किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकेगा, जो ऐसा संज्ञेय अपराध करता है या करने का प्रयत्न करता है, जिसमें [रेल संपत्ति, यात्री क्षेत्र और यात्रियों] से संबंधित किसी कार्य को करने में लगे हुए किसी व्यक्ति के जीवन के लिए आसन्न खतरा अंतर्वलित है या अंतर्वलित होने की संभावना है ।]

### 3) रेलवे अधिनियम

#### धारा 179. कतिपय धाराओं के अधीन अपराधों के लिए गिरफ्तारी-

(1) यदि कोई व्यक्ति धारा 150 से धारा 152 में वर्णित कोई अपराध करेगा तो वह किसी रेल सेवक या पुलिस अधिकारी द्वारा, जो हैड कांस्टेबल की पंक्ति से नीचे का न हो, वारंट या अन्य लिखित प्राधिकार के बिना गिरफ्तार किया जा सकेगा ।

(2) यदि कोई व्यक्ति धारा 137 से धारा 139, धारा 141 से धारा 147, धारा 153 से धारा 157, धारा 159 से धारा 167 और धारा 172 से धारा 176 तक में वर्णित कोई अपराध करेगा तो वह केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किसी आदेश द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा, वारंट या अन्य किसी लिखित प्राधिकार के बिना, गिरफ्तार किया जा सकेगा ।

**धारा 180. ऐसे व्यक्तियों की गिरफ्तारी जिनका फरार होना आदि संभाव्य है-**(1) यदि कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन [धारा 179 की उपधारा (2)] में वर्णित अपराध से भिन्न, कोई अपराध करता है या धारा 138 के अधीन मांगे गए अधिक प्रभार या अन्य राशि के संदाय के लिए दायी है अपना नाम और पता देने में असफल रहेगा या देने से इंकार करेगा या जहां यह विश्वास करने का कारण है कि उसके द्वारा दिया गया नाम और पता कल्पित है या यह कि वह फरार हो जाएगा तो 2[प्राधिकृत अधिकारी] वारंट या लिखित प्राधिकार के बिना उसे गिरफ्तार कर सकेगा ।

### 4. शस्त्र अधिनियम 1959

**धारा 20. संदिग्ध परिस्थितियों के अधीन आयुध, आदि का प्रवहण करने वाले व्यक्तियों की गिरफ्तारी-**जहां कोई व्यक्ति किन्हीं आयुधों या गोलाबारूद को चाहे उनके लिए अनुज्ञप्ति हो या न हो ऐसी रीति में या ऐसी परिस्थितियों के अधीन वहन करता हुआ या प्रवहण करता हुआ पाया जाए जिससे यह संदेह करने के न्यायसंगत आधार बनते हैं कि उसके द्वारा वे किसी विधिविरुद्ध प्रयोजन के लिए प्रयुक्त किए जाने के आशय से ले जाए जा रहे हैं या कि वे ऐसे प्रयोजन के लिए प्रयुक्त किए जा सकते हैं तो कोई मजिस्ट्रेट, कोई पुलिस आफिसर या कोई अन्य लोक सेवक अथवा किसी रेल, विमान, जलयान, यान या प्रवहण के किसी भी अन्य साधन में नियोजित या काम करने वाला कोई भी व्यक्ति उसे वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकेगा और ऐसे आयुध या गोलाबारूद उससे अभिगृहीत कर सकेगा ।

## 5. दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973

**धारा 43(1)** - कोई प्राइवेट व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति को जो उसकी उपस्थिति में अजमानतीय और संज्ञेय अपराध करता है, या किसी उद्धोषित अपराधी को गिरफ्तार कर सकता है या गिरफ्तार करवा सकता है और ऐसे गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को अनावश्यक विलंब के बिना पुलिस अधिकारी के हवाले कर देगा या हवाले करवा देगा या पुलिस अधिकारी की अनुपस्थिति में ऐसे व्यक्ति को अभिरक्षा में निकटतम पुलिस थाने ले जाएगा या भिजवाएगा ।

**धारा 131** - जब कोई ऐसा जमाव लोक सुरक्षा को स्पष्टतया संकटापन्न कर देता है और किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट से संपर्क नहीं किया जा सकता है तब सशस्त्र बल का कोई आयुक्त या राजपत्रित अधिकारी ऐसे जमाव को अपने समादेशाधीन सशस्त्र बल की मदद से तितर-बितर कर सकता है और ऐसे किन्हीं व्यक्तियों को, जो उसमें सम्मिलित हों, ऐसे जमाव को तितर-बितर करने के लिए या इसलिए कि उन्हें विधि के अनुसार दंड दिया जा सके, गिरफ्तार और परिरुद्ध कर सकता है, किंतु यदि उस समय, जब वह इस धारा के अधीन कार्य कर रहा है, कार्यपालक मजिस्ट्रेट से संपर्क करना उसके लिए साध्य हो जाता है तो वह ऐसा करेगा और तदनन्तर इस बारे में कि वह ऐसी कार्यवाही चालू रखे या न रखे, मजिस्ट्रेट के अनुदेशों का पालन करेगा ।

## 6. सिगरेट और तम्बाकू पदार्थ (विज्ञापन, व्यापार और वाणिज्य का विनियमन, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण का निषेध) अधिनियम 2003 :

**धारा 25** : निवारण, निरोध और धारा 4 और 6 के तहत अपराधों के परीक्षण का स्थान :-

1. तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य कानून में निहित कुछ होते हुए भी, केंद्र सरकार या राज्य सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, एक या एक से अधिक व्यक्तियों को जो इस अधिनियम के तहत कार्यवाही करने के लिये सक्षम होगा । यदि विश्वास करने का कारण बनता है, कि यदि किसी व्यक्ति ने इस अधिनियम कि धारा 4 या धारा 6 के तहत कोई अपराध किया है, ऐसे व्यक्ति को तब तक रोकेंगे जब तक कि अपराधी अपना नाम व पता नहीं बता देता या अधिकारी को संतुष्ट नहीं कर देता है कि, उसके खिलाफ कार्यवाही करने व समन जारी करने की सूचना देने के लिए उत्तरदायी होगा ।

2. उप धारा 1 के अधीन किसी व्यक्ति को हिरासत में लेने पर उसे तत्काल न्यायधीश के सामने निपटान के लिए ले जाया जायेगा ।

3. कोई व्यक्ति जो धारा 4 या धारा 6 के अंतर्गत अपराध करता है, उसका परिक्षण किसी भी स्थान पर हो सकता है जहां वह अपराध करे या जिसे इस संबंध में न सरकार द्वारा सूचित किया जाय | साथ ही यह परिक्षण किसी अन्य स्थान पर भी हो सकता है, जहां किसी भी लागू कानून को अंतर्गत उसका परिक्षण किया जा रहा हो |

4. हर अधिसूचना जिसे उप वर्ग 1 व 3 को अंतर्गत किया जाए उसे सरकारी गजट में प्रकाशित किया जाएगा व उसकी एक प्रतिलिपि जनता को जानकारी हेतु राज्य सरकार द्वारा नियत किसी विशिष्ट स्थल या स्थलों पर लगाई जायगी |

5. प्रत्येक अधिकृत व्यक्ति उप धारा 1 के तहत भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 21 के अर्थ में लोक सेवक समझा जाएगा |

राजपत्र अधिसूचना संख्या एस.ओ.1582 (ई) दिनांक 11 अप्रैल, 2019 के अनुसार केंद्र सरकार। ने एएसआई और उससे ऊपर के रैंक के आरपीएफ के अधिकारियों को संबंधित अधिकार क्षेत्र के भीतर एनडीपीएस अधिनियम की धारा 42 के तहत निर्दिष्ट शक्तियों का प्रयोग करने और कर्तव्यों का पालन करने और धारा 67 के तहत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार दिया है।

**धारा 42. वारंट या प्राधिकार के बिना प्रवेश, तलाशी अभिग्रहण और गिरफ्तार करने की शक्ति**

(1) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क स्वापक, सीमाशुल्क, राजस्व आसूचना विभागों या केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य विभाग का जिसके अन्तर्गत अर्धसैन्य बल या सशस्त्र बल भी हैं, कोई ऐसा अधिकारी (जो किसी चपरासी, सिपाही या कांस्टेबल की पंक्ति से वरिष्ठ अधिकारी है, जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त सशक्त किया जाता है. अथवा किसी राज्य सरकार के राजस्व, औषधि नियंत्रण, उत्पाद शुल्क, पुलिस या किसी अन्य विभाग का कोई ऐसा अधिकारी (जो किसी चपरासी, सिपाही या कांस्टेबल की पंक्ति से वरिष्ठ अधिकारी हैं), जिसे राज्य सरकार के साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त सशक्त किया जाता है, यदि उसके पास व्यक्तिगत जानकारी या किसी व्यक्ति द्वारा दी गई और लिखी गई इतिला से यह विश्वास करने का कारण है कि ऐसी कोई स्वापक औषधि या मनः प्रभावी पदार्थ या नियंत्रित पदार्थ जिसकी बाबत इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध किया गया है, या कोई ऐसी दस्तावेज या अन्य वस्तु, जो ऐसे अपराध के किए जाने का साथ हो या अवैध रूप से अर्जित कोई ऐसी संपत्ति या कोई ऐसी दस्तावेज या अन्य वस्तु जो अवैध रूप से अर्जित कोई ऐसी संपत्ति धारण करने का साध्य हो सकती है जो इस अधिनियम के अध्याय 5क के अधीन अभिग्रहण या स्थिरीकरण या समपहरण के लिए दायी हैं, किसी भवन, प्रवहण या परिवेष्टित स्थान में रखी या छिपाई गई है, सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच,

(क) किसी ऐसे भवन, प्रवहण या स्थान में प्रवेश कर सकेगा और उसकी तलाशी ले सकेगा; (ख) प्रतिरोध की दशा में किसी द्वारा को तोड़ सकेगा और ऐसे प्रवेश करने में किसी अन्य बाधा को हटा सकेगा

(ग) ऐसी औषधि या पदार्थ और उसके विनिर्माण में प्रयुक्त सभी सामग्री तथा किसी अन्य वस्तु और किसी जीवजन्तु या प्रवहण को, जिसकी बाबत उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि वह इस अधिनियम अधीन अधिहरणीय है और किसी ऐसी दस्तावेज या अन्य वस्तु को, जिसके बारे में उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि वह इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध के किए जाने का माध्य हो सकती है या अवैध रूप से अर्जित कोई ऐसी संपत्ति धारण करने का साध्य हो सकती है जो इस अधिनियम के अध्याय एक के अधीन अभिग्रहण या स्थिरीकरण या समपहरण के लिए दायी है, अभिगृहीत कर सकेगा; और

(घ) किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसके बारे में उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि उसने इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध किया है, निरुद्ध कर सकेगा और उसकी तलाशी सकेगा तथा यदि वह उचित समझे तो उसे गिरफ्तार कर सकेगा।

[परंतु इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम या किए गए आदेश के अधीन विनिर्मित औषधियों या मनःप्रभावी पदार्थों या नियंत्रित पदार्थों के विनिर्माण के लिए दी गई, अनुज्ञप्ति के धारक संबंध में ऐसी शक्ति का प्रयोग ऐसे किसी अधिकारी द्वारा किया जाएगा, जो उप निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो परंतु यह और कि] यदि ऐसे अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि तलाशी वारंट या प्राधिकार साक्ष्य छिपाने लिए अवसर दिए बिना या किसी अपराधी को निकल भागने के लिए सुविधा दिए बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता है तो वह सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच किसी भी समय ऐसे भवन, प्रवहण या परिवेष्टित स्थान में अपने विश्वास के आधारों को लेखबद्ध करने के पश्चात प्रवेश कर सकेगा और उसकी तलाशी ले सकेगा।

**धारा 43. लोक स्थान में अभिग्रहण और गिरफ्तार करने की शक्ति-धारा 42 में उल्लिखित किसी विभाग का कोई अधिकारी**

(क) किसी लोक स्थान में या अभिग्रहण में, किसी ऐसी स्वापक औषधि या मनःप्रभावी पदार्थ अथवा नियंत्रित पदार्थ की, जिसके बारे में उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध किया गया है और ऐसी औषधि या ऐसे पदार्थ के साथ किसी ऐसे जीवजन्तु या प्रवहण या वस्तु का जो इस अधिनियम के अधीन अधिहरणीय है और किसी ऐसी दस्तावेज या अन्य वस्तु को जिनके बारे में उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि वह इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध के किए जाने का साक्ष्य हो सकती है या ऐसी किसी दस्तावेज या अन्य वस्तु को, जो अवैध रूप से अर्जित ऐसी किसी संपत्ति को धारण करने का साध्य सकती है जो इस अधिनियम के अध्याय 5क के अधीन अभिग्रहण या स्थिरीकरण या समपहरण के लिए दायी है, अभिगृहीत कर सकेगा।

(ख) ऐसे किसी व्यक्ति को, जिसके बारे में उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि उसने इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध किया है, निरुद्ध कर सकेगा और उसकी तलाशी ले सकेगा तथा यदि ऐसे व्यक्ति के कब्जे में कोई स्वापक ओषधि या मन प्रभावी पदार्थ अथवा नियंत्रित पदार्थ हैं और ऐसा कब्जा उसे विधिविरुद्ध प्रतीत होता है तो उसे और उसके साथ के किसी अन्य व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकेगा।

स्पष्टीकरण- इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "लोक स्थान" पद के अन्तर्गत कोई ऐसा लोक प्रवहण, होटल, दुकान या अन्य स्थान है जो जनता द्वारा प्रयोग किए जाने के लिए आशयित है या जिस तक जनता की पहुंच हो सकती है।

**धारा 67. जानकारी आदि मांगने की शक्ति** धारा 42 में निर्दिष्ट कोई ऐसा अधिकारी, जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया जाता है, इस अधिनियम के किसी उपबन्ध के उल्लंघन के संबंध में किसी जांच के अनुक्रम में (क) अपना यह समाधान करने के प्रयोजन के लिए क्या इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या आदेश के उपबंधों का उल्लंघन हुआ है, किसी व्यक्ति से जानकारी मांग सकेगा;

(ख) किसी व्यक्ति से जांच के लिए उपयोगी या सुसंगत किसी दस्तावेज वस्तु को पेश करने या परिदत्त करने करने की अपेक्षा कर सकेगा। (ग) मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित किसी व्यक्ति की परीक्षा कर सकेगा।